

जनसंपर्क संचालनालय
मध्यप्रदेश शासन
::आदेश::

भोपाल, दिनांक 12/04/2021

क्रमांक ए-5-2/2021/जसंसं/स्था./ 2021 /जनसंपर्क संचालनालय एवं अधीनस्थ कार्यालय में पदस्थ तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को समयमान-वेतनमान का लाभ देने के लिए गठित समिति की दिनांक 10 मार्च 2021 को हुई बैठक में की गई अनुशंसाएँ और मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 11-1/2008/ नियम/चार, दिनांक 01 अप्रैल 2008, दिनांक 04 अप्रैल 2008 , दिनांक 24 सितंबर 2008 एवं परिपत्र क्रमांक एफ 11-17/2014/नियम/चार, दिनांक 30.09.2014 एवं परिपत्र क्रमांक एफ 11-13/1661/2016/नियम/चार, दिनांक 21.09.2016 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत जनसंपर्क संचालनालय एवं अधीनस्थ कार्यालयों में पदस्थ वर्ग "स" एवं "द" के निम्नलिखित तृतीय/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को उनके संवर्ग में 10/20 एवं 30 वर्ष की सेवा पूर्ण किए जाने पर उनके समक्ष दशाई तिथि से तृतीय उच्चतर वेतनमान स्वीकृत किया जाता है:-

क्र.	नाम/पदनाम तथा पदस्थापना का स्थान	प्रथम नियुक्ति की तिथि	कालम 03 में अंकित तिथि से 10,20 एवं 30 वर्ष पूर्ण की तिथि	तृतीय उच्चतर वेतनमान की पात्रता तिथि
1	2	3	4	5
1.	श्री विकास बिल्लौर, सहायक ग्रेड-3 जनसंपर्क संचालनालय भोपाल	09.01.1991	08.01.2021 (30 वर्ष)	तृतीय उच्चतर वेतनमान 09.01.2021से (पुनरीक्षित वेतनमान 9300-34800+3200) (सातवां वेतनमान 32800-103600 लेवल-8)
2.	श्रीमती कमला राठौर, सहायक ग्रेड-3 जनसंपर्क संचालनालय भोपाल	09.01.1991	08.01.2021 (30 वर्ष)	तृतीय उच्चतर वेतनमान 09.01.2021से (पुनरीक्षित वेतनमान 9300-34800+3200) (सातवां वेतनमान 32800-103600 लेवल-8)
3.	श्री शारदा प्रसाद जोरी, वाहन चालक जिला जनसंपर्क कार्यालय दमोह	(20.03.1987 कलेक्टर दर पर तीन वर्ष) 19.03.1990	18.03.2020 (30 वर्ष)	तृतीय उच्चतर वेतनमान 19.03.2020 से (पुनरीक्षित वेतनमान 9300-34800+3200) (सातवां वेतनमान 32800-103600 लेवल-8)
4.	श्री प्रवेश कुमार यादव, भृत्य सं.ज.सं.का. सागर	(30.3.1983से 31.12.1989तक पाँच वर्ष कलेक्टर द्वारा निर्धारित दर पर) 01.01.1990	30.12.2019 (30 वर्ष)	तृतीय उच्चतर वेतनमान 31.12.2019 से (पुनरीक्षित वेतनमान 5200-20200+1900) (सातवां वेतनमान 19500-62000 लेवल-4)
5.	श्री रामप्रसाद प्रजापति, भृत्य जि.ज.सं.का. पन्ना	(30.01.1987 से 19.1.1990 तक तीन वर्ष कलेक्टर द्वारा निर्धारित दर पर) 19.01.1990	18.1.2020 (30 वर्ष)	तृतीय उच्चतर वेतनमान 19.1.2020 से (पुनरीक्षित वेतनमान 5200-20200+1900) (सातवां वेतनमान 19500-62000 लेवल-4)
6.	श्री कण्ठेदी लाल, भृत्य (नैमेत्तिक) जि.ज.सं.का. पन्ना, दमोह	(24.3.1987से 23.3.1990 तक तीन वर्ष कलेक्टर द्वारा निर्धारित दर पर) 23.03.1990	22.3.2020 (30 वर्ष)	तृतीय उच्चतर वेतनमान 23.3.2020 से (पुनरीक्षित वेतनमान 5200-20200+1900) (सातवां वेतनमान 19500-62000 लेवल-4)
7.	श्री रामकृष्ण यादव, भृत्य जनसंपर्क संचालनालय भोपाल	02.04.1991	01.04.2021 (30 वर्ष)	तृतीय उच्चतर वेतनमान 02.04.2021से (पुनरीक्षित वेतनमान 5200-20200+1900) (सातवां वेतनमान 19500-62000 लेवल-4)

8.	श्री संतलाल कुशवाह, चौकीदार (नैमेत्तिक) जि.ज.सं.का. सतना	(05.04.1991 कार्मिकप्रशासनिक सुधार विभाग के परिपत्र दि: 22.11.1988 के अनुसार नियमित वेतन पर)	04.04.2021 (30 वर्ष)	तृतीय उच्चतर वेतनमान 05.04.2021 से (पुनरीक्षित वेतनमान 5200-20200+1900) (सातवां वेतनमान 19500-62000 लेवल-4)
9.	श्री आरिफ खाँ, भृत्य जनसंपर्क संचालनालय भोपाल	08.04.1991	07.04.2021 (30 वर्ष)	तृतीय उच्चतर वेतनमान 08.04.2021 से (पुनरीक्षित वेतनमान 5200-20200+ 1900) (सातवां वेतनमान 19500-62000 लेवल-4)
10.	श्री कैलाश नारायण रायकवार, हेल्पर (नैमेत्तिक) जनसंपर्क संचालनालय भोपाल	(08.4.1991 कार्मिक प्रशासनिक सुधार विभाग के परिपत्र दि: 22.11.1988 के अनुसार नियमित वेतन पर)	07.04.2021 (30 वर्ष)	तृतीय उच्चतर वेतनमान 08.04.2021 से (पुनरीक्षित वेतनमान 5200-20200+1900) (सातवां वेतनमान 19500-62000 लेवल-4)
11.	श्री ओमप्रकाश बाँके, भृत्य जनसंपर्क संचालनालय भोपाल	11.04.1991	10.04.2021 (30 वर्ष)	तृतीय उच्चतर वेतनमान 11.04.2021से (पुनरीक्षित वेतनमान 5200-20200+ 1900) (सातवां वेतनमान 19500-62000 लेवल-4)
12.	श्री निर्माल सिंह कुशवाह, चौकीदार (नैमेत्तिक) जि.ज.सं.का. पन्ना	08.04.1991 (कार्मिक प्रशासनिक सुधार विभाग के परिपत्र दि: 22.11.1988 के अनुसार नियमित वेतन पर)	07.04.2021 (30 वर्ष)	तृतीय उच्चतर वेतनमान 08.04.2021 से (पुनरीक्षित वेतनमान 5200-20200+1900) (सातवां वेतनमान 19500-62000 लेवल-4)
13.	श्री राजेन्द्र बहादुर सिंह, भृत्य जनसंपर्क संचालनालय भोपाल	16.04.1991	15.04.2021 (30 वर्ष)	तृतीय उच्चतर वेतनमान 16.04.2021 से (पुनरीक्षित वेतनमान 5200-20200+ 1900) (सातवां वेतनमान 19500-62000 लेवल-4)

2. सीधी भर्ती के संवर्गों में "स" एवं "द" वर्ग की सेवाओं के सदस्यों को शासकीय सेवा में प्रथम नियुक्ति पश्चात 30 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर तृतीय उच्चतर वेतनमान स्वीकृत किया गया है।

3. सहायक ग्रेड-3 के ऐसे कर्मचारी जिन्होंने हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा विलम्ब से उत्तीर्ण की है अथवा जिन्हे उक्त परीक्षा उत्तीर्ण करने की छूट प्राप्त है, को मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र सी 3-15/2009/3/ एक दिनांक 07 नवंबर ,2009 के बिन्दु क्रमांक 2 में जारी किये गये स्पष्टीकरण के परिप्रेक्ष्य में केवल समयमान वेतनमान के लिए सेवा की गणना प्रथम नियुक्ति दिनांक से की जाकर पात्रतानुसार उच्चतर वेतनमान का लाभ दिया गया है। शासन निर्देशानुसार इसका लाभ अन्य किसी प्रयोजन (वरिष्ठता ,पदोन्नति ,स्थायीकरण) के लिये नहीं मिलेगा।

4. वित्त विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 24 जनवरी 2008 की कंडिका 7 के अनुसार सिविल सेवा के किसी सदस्य की पदोन्नति होने पर यदि वह पहले से पदोन्नति के पद के वेतनमान पर इस योजना अंतर्गत नियुक्त है तो उसे पदोन्नति पश्चात वेतन निर्धारण हेतु अपने मूल पद के संदर्भ में मूलभूत नियम 22 डी के अंतर्गत अथवा उच्चतर वेतनमान में प्राप्त वेतन के संदर्भ में मूलभूत नियम 22(ए) (ii) के अंतर्गत ,जो भी अधिक लाभ दायक हो, का लाभ उपलब्ध होगा।

यदि पदोन्नति के समय पहले से ही पदोन्नति के पद के वेतनमान से उच्चतर वेतनमान में वह इस योजनांतर्गत नियुक्त है तो वह उच्चतर वेतनमान का धारण पदोन्नति पश्चात भी व्यक्तिगत वेतन के रूप में करेगा।

5. वित्त विभाग के आदेश दिनांक 24.01.2008 की कंडिका 13 के अनुसार इस योजना के अंतर्गत उच्च वेतनमान का वित्तीय लाभ लेने के पश्चात नियमित पदोन्नति स्वीकार करने से इंकार करता है तो उच्चतर वेतनमान के अंतर्गत उससे वित्तीय लाभ वापस नहीं लिया जायेगा ,परंतु बाद में उसे उच्चतर वेतनमान का कोई वित्तीय लाभ देय नहीं होगा ।उपरोक्त कर्मचारियों की वेतनवृद्धि की तिथि पूर्ववत् ही रहेंगी तथा पदनाम परिवर्तित नहीं होगा।

समयमान वेतनमान का लाभ देने के पूर्व कोष एवं लेखा से वेतन निर्धारण का अनुमोदन कराया जाना अनिवार्य होगा।
(आयुक्त, जनसंपर्क द्वारा अनुमोदित)

 (सुरेश गुप्ता)
अपर संचालक(प्रशासन)

क्रमांक ए-5-2/2021/जसंसं/स्था./

2030

भोपाल, दिनांक 12/04/2021

प्रतिलिपि:-

1. महालेखाकार ,मध्यप्रदेश ग्वालियर।
 2. अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जनसंपर्क विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
 3. स्टैनो आयुक्त/संचालक, जनसंपर्क संचालनालय, भोपाल।
 4. समस्त अपर संचालक, जनसंपर्क संचालनालय, भोपाल।
 5. संयुक्त संचालक संदर्भ/पंजीयन ,जनसंपर्क संचालनालय , भोपाल।
 6. उप संचालक लेखा एवं आहरण-संवितरण अधिकारी, जनसंपर्क संचालनालय, भोपाल।
 7. अपर/संयुक्त/उप/सहायक संचालक, संभागीय जनसंपर्क कार्यालय, इंदौर/ग्वालियर/उज्जैन/सागर/रीवा/जबलपुर।
 8. सहायक संचालक/सहायक सूचना अधिकारी, संभागीय/जिला जनसंपर्क कार्यालय, सागर/पन्ना/दमोह/सतना ।
 9. वरिष्ठ कोषालय अधिकारी ,वल्लभ भवन कोषालय ,भोपाल।
 10. कोषालय अधिकारी,संभागीय/जिला कोषालय सागर/पन्ना/दमोह/सतना ।
 11. श्री/श्रीमती/..... /सहायक ग्रेड-3/वाहन चालक/ भृत्य/चौकीदार/हेल्पर/ जनसंपर्क संचालनालय, भोपाल/संभागीय/ जिला जनसंपर्क कार्यालय, /सागर/पन्ना/दमोह/सतना ।
 12. अध्यक्ष, विभागीय तृतीय/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी समिति, जनसंपर्क संचालनालय, भोपाल।
 13. सहायक संचालक /संबंधित सहायक/अवकाश/गोपनीय कक्ष /स्थापना/लेखा जनसंपर्क संचालनालय, भोपाल।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिए।
14. स्टॉक/रिकार्ड फाईल।

 अपर संचालक (प्रशासन)
12/4/21